उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दि0 27.02.2018 को आयोजित 19 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवृत्त

UTTARAKHAND

UEPPCB

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20 नेमी रोड़ डालनवाला
देहरादून

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 19 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.02.2018 को होटल पेसिफिक, देहरादून में अध्यक्ष, **उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे

1. डा0 रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण /अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, देहरादून।
3. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. श्री बंशीधर तिवारी, सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
5. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेसन- प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।
6. श्री अमन रायजदा, यू0आई0ई0, नगर निगम हरिद्वार।
7. श्री अंनत सिंह सैनी, अधिशासी अभियंता, नगर निगम हरिद्वार।
8. श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम **सदस्य सचिव** द्वारा बोर्ड **अध्यक्ष** एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुऐ **अध्यक्ष महोदय** की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्यसूची सं0-19.1:- बोर्ड की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना तथा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाना।

बोर्ड की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओ पर **सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया तथा बोर्ड द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्देश के साथ बोर्ड की 18 वीं बैठक में कार्यवृत्त पर अनुमोदन दिया गया:-

बिन्दु सं0 18.1 के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पी0सी0आर0आई0 द्वारा बनायी गई फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया जाये।

बिन्दु सं0 18.2 पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि बोर्ड के वर्ष 2017-18 तक के आन्तरिक आडिट का कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये तथा बोर्ड की आगामी बैठक में वर्ष 2014-15 से अग्रेत्तर जितने भी वर्षों के आंतरिक आडिट हो चुके हों, को बोर्ड के समक्ष रखा जाये।

बिन्दु सं0 18.3 पर बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनरूप सम्पूर्ण राज्य में लाल श्रेणी के उद्योगों को 05 वर्ष की वैधता हेतु, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष की वैधता हेतु एवं हरित श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष की वैधता हेतु संचालनार्थ सहमति निर्गत की जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई उद्योग उक्त निर्धारित वैधता से कम समय सीमा की संचालनार्थ सहमति चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे उद्योग, उपरोक्त निर्धारित श्रेणीवार सहमति वैधता की समय सीमा के

अन्तर्गत निर्धारित सहमति शुल्क जमा कराकर उस श्रेणी के अधिकतम सहमति वैधता स्तर तक की सहमति आटो रिन्यूवल करा सकेगें। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति की वैधता अवधि के मध्य उद्योग द्वारा विस्तारीकरण किया जाता है तो उक्त हेतु विस्तारीकरण की स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति नियमानुसार प्राप्त की जानी होगी।

बिन्दु सं0 18.4 पर बोर्ड द्वारा यह निर्णय हुआ कि संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र के नेटवर्क क्षेत्र में उक्त संयत्र से संयोजित उद्योगों का दायित्व होगा कि संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र से निस्तारित होने वाले शुद्धीकृत उत्प्रवाह की गुणवत्ता निधारित मानकों के अनुरूप रहे। उक्त संयंत्र के मानको के अनुरूप संचालन न होने पर उक्त से संयोजित सभी उद्योग समान रूप से विधिक कार्यवाही हेतु समान रूप से बाधित होगें।

बिन्दु सं0 18.6 पर बोर्ड द्वारा मुख्यालय के भवन निर्माण के संबंध में निर्देशित किया गया कि नवीन भवन के निर्माण व इसके हस्तांतरण की कार्यवाही दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर ली जाये।

बिन्दु सं0 18.7 पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि SAWEN Consultancy Service एवं PCRI द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया जाये। साथ ही साथ Waste Warriors संस्था की रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही भी आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

कार्यसूची सं0-19.2:- बोर्ड की वर्ष 2016-17 की वार्षिक बजट के अनुमोदन के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया जाना तथा बोर्ड की वार्षिक बजट 2017-18 का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची सं0-19.3:- उत्तराखण्ड राज्य में जल संस्थान/जल निगम द्वारा संयुक्त सीवेज शोधन संयत्र (एस0टी0पी0) के निर्माण एवं संचालन हेतु अपेक्षित शुल्क Waive off किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध।

बोर्ड का अभिमत है कि वर्तमान में सहमति शुल्क को पूर्णतया Waive off करना उचित नहीं है। यह निर्णय हुआ कि जल संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले संयुक्त सीवेज शोधन संयत्रों हेतु संचालनार्थ सहमति मद में वर्ष 2017-18 तक कुल देयता के सापेक्ष उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर उनके प्रस्ताव के आधार पर One time Settlement की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्यवाही हेतु बोर्ड अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची सं0-19.4:- उत्तराखण्ड राज्य मे जन जागुरूकता/प्रचार प्रसार के हेतु रोडमेप एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान किय जाने के सम्बन्ध में तैयार ।

बोर्ड द्वारा उपरोक्त कार्यसूची में प्रस्तावित रू0 80.00 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने सबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि प्रस्तावित जन जागरूकता कार्यक्रमों में निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियमों हेतु जन जागरूकता को भी सम्मलित कर लिया जाये।

कार्यसूची सं0-19.5:- उत्तराखण्ड में विभिन्न पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों हेतु विभिन्न संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराये जाने एवं बोर्ड में रिवोलविंग फन्ड की स्थापना के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई धनराशि का अवलोकन किया गया। बोर्ड द्वारा रिवोलविंग फन्ड बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त फन्ड हेतु प्राप्त होने वाले धनराशि के श्रोतों में CSR सहयोग राशि के अतिरिक्त विभिन्न वाणिज्यिक संस्थाओं को भी सम्मलित कर लिया जाये।

कार्यसूची सं0-19.6:- बोर्ड के नियमित कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के अनुसार निम्न कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरण अनुमोदित किये गये।

डा0 डी0के0 जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी	- रू0 132420/- मात्र
श्री अमित पोखरियाल, सहा0 पर्यावरण अभियंता	- रू0 1068471/- मात्र
श्री महावीर सिंह, वरिष्ठ सहायक	- रू0 262495/- मात्र एवं रू0 385020/- मात्र

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों में पहले बोर्ड स्तर पर ही उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशों के अनुरूप प्रथम स्तर का परिक्षण कर लिया जाये तदोपरान्त चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन को अग्रेतर द्वितीय स्तरीय परिक्षण हेतु अग्रसारित किया जाये।

कार्यसूची सं0-19.7:- बोर्ड के नियमित कार्मिकों को शासनादेश के अनुसार रू0 20 लाख तक ग्रेच्युटी का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची सं0-19.8:- बोर्ड में आबद्ध संविदा/परियोजना/आउटसोर्स कार्मिको को विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती किये जाने के दौरान कार्यरत कार्मिकों को आयु में शिथिलता व लिखित/मौखिक परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाये।

कार्यसूची सं0-19.9:- बोर्ड में कार्यरत नियमित/संविदा/आउटसोर्स वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासनादेश के अनुसार वर्दी, वर्दी भत्ता के समतुल्य धनराशि अनुमन्य किये जाने व वर्दी का स्वरूप निधारण किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची सं0-19.10:- बोर्ड में उपलब्ध वाहनों की स्थिति, नये वाहन क्रय किये जाने एवं वाहन चालकों के पदों को नियमित किये जाने व अतिरिक्त पदो के सृजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव के अनुरूप बोर्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत 02 बोलेरो वाहन के अतिरिक्त कुल 01 नये महिन्द्रा स्कोर्पियों (मीडियम माडल) क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा प्रस्ताव के अनुरूप उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत 10वाहन चालकों के पदों को नियमित किये जाने व अन्य 06 वाहन चालकों के पद आउटसोर्स के माध्यम से सृजित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी अनुमोदन करते हुए यह निर्देशित किया कि वाहन चालको के पद नियमित/सृजित करने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाये।

कार्यसूची सं0-19.11:- बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विडियो कान्फ्रेसिंग की व्यवस्था हेतु उपकरणों की खरीद एवं स्थापना हेतु बोर्ड के सदस्यों को अवगत किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया कि बोर्ड अध्यक्ष कार्यालय हेतु आरक्षित विडियो कान्फ्रेसिंग सिस्टम को बोर्ड मुख्यालय में ही स्थापित कर लिया जाये तथा अध्यक्ष कार्यालय हेतु उक्त की लीज लाईन के लिए बी0एस0एन0एल0 को किये गये भुगतान को वापस प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जाये।

कार्यसूची सं0-19.12:- राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों हेतु वाद की सुनवाई के शुल्क बोर्ड अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ताओ को भुगतान किये जाने के प्रकरण को बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची सं0-19.13:- मां0 मंत्री वन एवं पर्यावरण हेतु वाहन एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

मा0 मंत्री जी वन एवं पर्यावरण हेतु वाहन क्रय करने एवं इस पर रू01594000/- के व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति तथा मा0 मंत्री जी हेतु 01 वाहन चालक, 01 लिपिक/डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं 02 अनुसेवक, 03 माली को Outsource agency से लिए जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची सं0-19.14:- बोर्ड के स्वीकृत स्टाफ ढांचे के सापेक्ष ततृीय श्रेणी के पदों पर भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं यथा आई.आई. टी. रूड़की व अन्य/अधीनस्थ चयन अयोग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से कार्यवाही की जाये।

अन्त में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यो का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक का समापन किया गया।

19/2/2018

(एस0पी0सुबुद्धि)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(डा0 रणवीर सिंह)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,